केन-बेतवा लिंक परियोजना पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन

पक्षों का नाम और पता

1. **मध्य प्रदेश राज्य, जल संसाधन विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।**
2. **उत्तर प्रदेश राज्य, सिंचाई विभाग, सचिवालय, लखनऊ।**
3. **केंद्र सरकार, जल संसाधन मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली।**

(1) जहाँ कि, केंद्र सरकार नदियों को आपस में जोड़ने के योजना को राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण मानती है और परियोजना के वित्त पोषण प्रणाली हेतु कई तरीके और साधनों पर काम कर रही है, जहाँ राज्यों के हिस्से इत्यादि शामिल है ताकि निर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर परियोजना पूरी की जा सके।

(2) और जहाँ पर, सहमती के अनुसार जल के संचालन और नियंत्रण हेतु राज्य सरकारों के परामर्श से केंद्र सरकार राज्य/ केंद्र सरकार के साथ उपयुक्त संस्थागत व्यवस्थाएं करती है।

(3) और जहाँ पर, राष्ट्र के सकल हित में नदियों के अंतर्योजन के इस कार्य के प्रति राज्यों के तरफ से सम्पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है:

अतः, अब, एतद् पक्षों द्वारा निम्न अनुसार समझौता किया जाता है कि:

1. केंद्र सरकार को 'विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (वि.प.रि.)' के समापन और 'लिंक परियोजनाओं के कार्यान्वयन' के लिए आवश्यक संगठनात्मक संरचना की पहचान करनी होगी और इस पर निर्णय लेना होगा

2. वि.प.रि. और लिंक के कार्यक्षेत्र, लागतों एवं लाभ का साझा एवं जल प्रबंधन और नियंत्रण की व्यवस्था इत्यादि पर अर्जित सहमती के आधार पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य और केंद्र सरकार के मध्य विशेष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाएगा

3. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा पूरे किए गए व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार केन-बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से दोनों राज्य सरकारों को बहुकार्य लाभ प्राप्त होंगे। कथित उद्देश्यों के अनुसरण में, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मतैक्यता निर्माण प्रयासों के माध्यम से व्यापक मतैक्यता और 'सैद्धान्तिक रूप से' सहमती प्राप्त की गई थी, जैसा कि मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ. के पत्र संख्या रा.ज.वि.अ./तक-III/122/17/2004 (भाग V) दिनांकित 5.1.2005 में प्रदर्शित है ताकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत केन-बेतवा इंटरलिंकिंग परियोजना की इष्टतम एवं एकीकृत योजना, सफलता पूर्वक कार्यान्वयन और प्रभावकारी संचालन और अनुश्रवण की पुष्टि की जा सके। राज्यों द्वारा जल साझा, नियंत्रण तंत्र और विद्युत हानि की प्रतिपूर्ति इत्यादि पर उठाए गए आशंकाओं का संबोधन वि.प.रि. चरण में किया जाएगा।

4. दोनों राज्यों को केंद्र सरकार के साथ और आपस में एक समझौता करना होगा और इस समझौते का पालन करना होगा ताकि देश के व्यापक हित में भिन्न क्षेत्रों में बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लड़ा जा सके।

5. सभी पक्षों द्वारा सहमति जताए जाने पर हीं समझौता ज्ञापन में कोई भी समीक्षा/ संशोधन किया जाएगा।

6. म.प्र. राज्य, उ.प्र. राज्य और केंद्र सरकार के मध्य केन-बेतवा लिंक परियोजना पर अगली कार्यवाही करने और परियोजना की वि.प.रि. तैयारी आरंभ करने का निर्णय लिया जाता है।

25 अगस्त, 2005 के इस दिन को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित।

(बाबूलाल गौड़)
मध्य प्रदेश मुख्य मंत्री
म.प्र. राज्य के तरफ से

(मुलायम सिंह यादव)
उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री
उ.प्र. राज्य के तरफ से

(प्रिया रंजन दसमुंसी)

जल संसाधन मंत्रालय
केंद्र सरकार के तरफ से

तार : जलविकास

दूरभाष : 6519164, 6861044
फैक्स : 91-11-6960841

ईमेल : dgnwda@vsnl.net

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय के अधीनस्थ सोसाइटी)

18-20, सामुदायिक केंद्र,

साकेत, नई दिल्ली – 110017

रा.ज.वि.अ./तक-III/122/17/2004(भाग V)

दिनांकित: 5 जनवरी, 2005

सेवा में,

1. श्री जय प्रकाश,

मुख्य अभियंता (बेतवा),
उ.प्र. सिंचाई विभाग,
झाँसी

2. श्री एस.के तिवारी,
मुख्य अभियंता (धसन-केन जलाशय),
जल संसाधन विभाग,
म.प्र. सरकार,
सागर (म.प्र.)

विषय : केन-बेतवा लिंक के संबंध में दौधन बाँध के ऊर्ध्वप्रवाह और अनुप्रवाह में उ.प्र. और म.प्र. की प्रस्तावित जल आवश्यकता

महोदय,

कृपया 5 जनवरी, 2005 के मुख्य अभियंता (कृ.प्र.सं.), के.ज.आ. के बैठक के बाद की हमारी चर्चा याद करे, जिसमे केन-बेतवा लिंक के संबंध में उ.प्र. और म.प्र. के बीच जल साझा पर एकमत्य हासिल करने की अतिरिक्त संभावनाओं की तलाश की गई थी। तदनुसार, आपके सरकार द्वारा विचार किए जाने और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उ.प्र. और म.प्र. के बीच जल साझा का एक नया प्रस्ताव भेजा जा रहा है। मैं इस संबंध में शीघ्र उत्तर की प्रतीक्षा में हूँ।

भवदीय,

(एन.के. भंडारी)

संलग्नक: उपरोक्त अनुसार

मुख्य अभियंता (मुख्यालय)

केन जलाशय की दौधन बाँध तक प्रस्तावित जल आबंटन

क्रमांक	विवरण		बैठक के पश्चात रा.ज.वि.अ. द्वारा प्रस्तावित (मि.घ.मी. [ह.मि.घ.फी.])
1.	प्रस्तावित बाँध में कुल उपलब्ध जल		6188 [218.54]
2.	बाँध के ऊर्ध्वप्रवाह में मध्य प्रदेश (म.प्र.) की आवश्यकता		2266 [80.03]
3.	उपलब्ध शेष जल		3922 [138.51]
	पुनः उत्पादन (+)		442 [15.61]
	उपलब्ध कुल शेष जल		4364 [154.12]
4.	म.प्र. की कुल आवश्यकता		
	(क) दौधन के अनुप्रवाह में		1375 [48.56]
	(ख) मार्ग में उपयोग		263 [9.29]
	(ग) मार्ग में घरेलु उपयोग और पारेषण हानि		49 [1.73]
	कुल:		1687 [59.58]
5.	उत्तर प्रदेश (उ.प्र.) की कुल आवश्यकता		
	मार्ग के कमान सहित दौधन के अनुप्रवाह में		1700 [60.04]
6.	बेतवा जलाशय में प्रस्तावित जल अंतरण		659 [23.27]
7.	पारिस्थितिक आवश्यकताओं के लिए बाँध के अनुप्रवाह की आवश्यकता		318 [11.23]